

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / एम-106 / 2019 /

दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर

विषय:- श्रीमती मुकेश यादव, नर्स-2 परिवीक्षाधीन का अवकाश स्वीकृत करने बाबत।
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1397 दिनांक 11.10.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा श्रीमती मुकेश यादव, नर्स-2 परिवीक्षाधीन का अवकाश स्वीकृत सम्बन्धी प्रकरण में कार्मिका ने जीए-45 में परिवर्तित अवकाश अंकित कर रखा है कार्मिका से असाधारण अवकाश अंकित करवाकर संशोधित जीए-45 प्राप्त कर भिजवाने का श्रम करें। साथ ही कार्मिका द्वारा पूर्व में इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अवकाश उपभोग किया है अथवा नहीं? की सूचना चांही गई थी जो आज दिवस तक अपेक्षित है।

अतः कार्मिका से वांछित सूचना प्राप्त कर अविलम्ब निदेशालय को भिजवाये ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

SD

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 11-4-2019

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / एम-106 / 2019 / 504

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर